प्रेस नोट
दिनांक 14.06.2024

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–195/24, धारा 498ए,306,352,504,506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त धनजय सिंह उर्फ सपऊ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 10.06.2024 को ग्राम पूरा बाजार जनपद अयोध्या के रहने वाले श्री जयचन्द्र सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी लड़की की शादी 10 वर्ष पूर्व ग्राम साकीपुर थाना नवाबगंज के रहने वाले धनंजय सिंह के साथ हुई थी। धनंजय सिंह अपने परिजनों के साथ मिलकर आये दिन मारपीट किया करते थे। प्रताड़ना से तंग आकर मेरी लड़की द्वारा आत्महत्या कर लिया गया है। वादी की तहरीर पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त– धनजय सिंह उर्फ सपऊ सिंह को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 14.06.2024 को ढेमवाघाट पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. धनजय सिंह उर्फ सपऊ सिंह पुत्र श्याम नरायन सिंह नि0 साकीपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–195/24, धारा 498ए,306,352,504,506 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अरूण कुमार गौतम।
02. हे0का0 सुरेन्द्र ओझा।
03. का0 संजय यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 14.06.2024

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार.–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी गोण्डा श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–07/24, धारा 363,366 भादवि व 16/17 पाक्सो ऐक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राममोहन को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 06.01.2024 को थाना मनकापुर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी लड़की को विपक्षी द्वारा बहला–फुसलाकर भगा ले गया है। वादिनी की तहरीर पर थाना मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना उ0नि0 अखिलेश राही को सुपुर्द की गयी थी। जिसमें आज दिनांक 14.06.2024 को थाना मनकापुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त राममोहन पुत्र मदन को हरदोई बन्दरहा रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. राममोहन पुत्र मदन पाल नि0 ग्राम गौरा उदयपुर थाना पाली जनपद हरदोई।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–07/24, धारा 363,366 भादवि व 16/17 पाक्सो ऐक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अखिलेश राही।
02. का0 रवि सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 14.06.2024

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार.–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी गोण्डा श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–278/24, धारा 363,376 भादवि व 4/2 पाक्सो ऐक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 07.06.2024 को थाना मनकापुर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी नाबालिग लड़की को विपक्षी द्वारा बहला–फुसलाकर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना उ0नि0 उदयनारायण साही को सुपुर्द की गयी थी। जिसमें आज दिनांक 14.06.2024 को थाना मनकापुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी मोहित कुमार को रेलवे क्रासिंग मनकापुर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मोहित कुमार पुत्र रामनरेश नि0 ग्राम नेवाजीपुर थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–278/24, धारा 363,376 भादवि व 4/7 पाक्सो ऐक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 उदयनारायण साही
02. हे0का0 रवीश कुमार।
03. का0 दिलीप कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 14.06.2024, मीडिया सेल
जनपद गोण्डा।

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना छपिया पुलिस ने 01, थाना खोड़ारे पुलिस ने 01 व थाना परसपुर पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।